क्रम संख्या–040

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–एक, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 अप्रैल, 2002 ई0
चैत्र 21, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 122/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002
देहरादून, 11 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, २००२ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या ०३, सन् २००२ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति
(अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, २००२
(उत्तरांचल अधिनियम संख्या ०३, सन् २००२)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रेत्तर संशोध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जाएगा.

(2) यह 31 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत हुआ समझा जाएगा.

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है धारा–2 में, उपधारा (1) में अंक तथा शब्द "31 दिसम्बर, 2001 तक" के स्थान पर अंक तथा शब्द" 31 दिसम्बर 2002 तक" रख दिये जाएंगे

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधो के अधीन कृत कार्यवाही समझी जाएगी, मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारबान समय पर प्रवृत थे.

(सुरजीत सिंह बरनाला)
राज्यपाल, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(आर० पी० पाण्डेय)
सचिव।